रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGD. No. D. L.-33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-02042025-262215
SG-DL-E-02042025-262215

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 104]	दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 1, 2025/चैत्र 11, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 01
No. 104]	DELHI, TUESDAY, APRIL 1, 2025/CHAITRA 11, 1947	[N. C. T. D. No. 01

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 अप्रैल, 2025

फा. सं. 44(39)/2022/समा0 कल्या0 वि0/प्रशा0 II/भर्ती नियम/ बावर्ची/6973–78.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या जी0एस0आर0 840 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 06.07. 1966 की अधिसूचना संख्या फा0. 2(25)/66–एपीपीटीटीएस (ख) के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में **बावर्ची** के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :–** (i) इन नियमों को बावर्ची भर्ती नियमावली, 2023 कहा जाए।

   (ii) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :–** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यता इत्यादि :–**उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता :–**वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति :–**जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव :–** इन नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	बावर्ची
2.	**पदों की संख्या**	:	43* (2024) * (परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर)
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह–'ग', अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	**वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर**	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–2 (19900–63200/– रुपये)
5.	**क्या चयन पद है/गैर चयन पद**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	18–25 वर्ष के बीच* (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में ऊपरी आयु सीमा विभागीय उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय।) **टीपः–** आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विज्ञापित होगी। * यदि अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी द्वारा पदों को भरा जाना हो, तो आयु सीमा 18–27 वर्ष के बीच होगी।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	**अनिवार्यः–** क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से खानपान (कैटरिंग) में डिप्लोमा का प्रमाण पत्र।

			(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत स्थापित होटल प्रबंधन द्वारा पाक कला के लिए ट्रेड कौशल परीक्षा आयोजित की जायेगी। **टीप 1:** अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यता, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के विवेक पर शिथिलनीय हैं।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु सीमा एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है**	:	सीधी भर्ती वालों के लिए दो वर्ष **टीप 1:** सीधी भर्ती वाले को, परिवीक्षा अवधि पूरी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना अपेक्षित है।
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	**सीधी भर्ती द्वारा** **टीप :–** ''पदधारियों द्वारा एक वर्ष या अधिक अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर जाने या लम्बी रूग्णता या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण हुई रिक्तियां केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेंगी। (क) नियमित आधार पर समरूप पदधारी तथा (ख) कॉलम 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित योग्यता और अनुभव रखते हों।''
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है**	:	लागू नहीं
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है।**	:	**समूह ''ग'' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ)** 1. प्रधान सचिव/सचिव (प्रशा0 सुधा0) – **अध्यक्ष** 2. संबंधित विभागाध्यक्ष – **सदस्य** 3. उप–सचिव (सा0प्रशा0वि0) – **सदस्य**
13.	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

अंजली सहरावत, निदेशक (समाज कल्याण)

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 1st April, 2025

F. No. 44(39)/2022/DSW/AdmnII/RRs/6973-78.—In exercise of the powers conferred by the provision to Article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, notification number G.S.R. 840 dated 13th July,1959 and in supersession of notification F.2(25)/66-Appts(B) dated 06.07.1966 except as things done or omitted to be done before such supersession the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the post of Cook in the Department of Social Welfare, Government of National Territory of Delhi, namely: -

1. **Short title and commencement: -** (i) These rules may be called the Cook Recruitment Rules, 2023.

(ii) They shall come into force on the date of its publication in official gazette.

2. **Number of Posts, Classification and level in the pay matrix: -** The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc: -** The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matters connected therewith, shall as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification: -** No person-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Powers to relax: -** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by an order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving: -** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	**Number of the Post**	**Classification**	**Pay Level in the Pay Matrix**	**Whether Selection post / Non-Selection post**	**Age-limit for direct recruits**
(1)	**(2)**	**(3**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Cook	43* (2024), *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial,	Level-2, (Rs. 19900-63200) in the pay matrix	Not Applicable	Between 18-25* years (The upper age limit is relaxable for departmental candidate up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central

					Government). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Competent Authority. *In case of post being filled up by all India Open Competition, the age limit would be between 18 year and 27 years.

Educational and other Qualification required for Direct Recruits	**Whether age and Educational Qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees**	**Period of probation, if any**
(7)	**(8)**	**(9)**
Essential: - (a) 10th class pass from a recognized Board or Institute with certificate of Diploma in catering from a recognized institute. (b) A Trade Skill Test for cooking shall be conducted by Hotel Management established under GNCTD. **Note1**: Qualification are relaxable at the discretion of the DSSSB for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable	Two years for direct recruits **Note:** Direct recruits would be required to successfully complete a mandatory induction training of at least two weeks duration, as prescribed by the Competent Authority for completion of probation.

Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by Deputation/absorption & percentage of the vacancies to be filled by various methods	**In case of Recruitment by Promotion/ deputation/transfer, grades from which Promotion/ deputation/transfer to be made**
(10)	**(11)**
By direct recruitment. **Note:** "Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government/State Govt./ UTs. (a) holding analogous posts on regular basis and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Col.7".	Not Applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	**Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment**
(12)	**(13)**
Group-‘C’ Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation): 1. Pr. Secretary/Secretary (AR)- **Chairperson** 2. Head of Department concerned- **Member** 3. Dy. Secretary (GAD)- **Member**	Not applicable

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

ANJALI SEHRAWAT, Director (Social Welfare)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.04.02 14:40:51 +05'30'